कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
निकट– डी0जी0बी0आर0 कैम्प,
आशुतोष नगर, ऋषिकेश

Office of Project Manager Construction & Maintenance Unit (Ganga),
Uttarakhand Peyjal Nigam
Near- DGBR Camp, Ashutosh Nagar
Rishikesh

Email:- gangarishikesh2017@gmail.com

Letter No. –63 / A-8 / 105 Date 15-01-2019 Through - Email/Post

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून "आई0 एण्ड डी0 नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी का निर्माण कार्य के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रपोजल सं0 FP/UK/OTHERS/27387/2017 की विधिवत् स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः–

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अवगत कराना है कि ऑन लाईन प्रपोजल सं0 FP/UK/OTHERS/27387/2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/09/41/2018 एफ0सी0/1832 दिनांक 30.11.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त पत्र में प्रदान की गई शर्तों के अधीन बिन्दुवार परिपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	शर्तें	निराकरण
01	प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष विद्यमान नहीं है, अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वनप्रभाग द्वारा प्रेषित 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रख–रखाव प्राक्कलन के अनुसार रू0 110000.00 जमा की गई है।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 32850.00 भारत सरकार के खाते में जमा की गई है।
03	निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थान पर विभाग द्वारा यथासम्भव् वृक्षारोपण किया जायेगा।
04	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	बढ़ी हुई दरों को इस विभाग द्वारा जमा कर दिया जाएगा।
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	यू0टी0आर0 सं0.–P19011171728178 द्वारा NEFT/RTGS द्वारा Uttaranchal Campa के खाते में जमा की गई।
06	State Govt. will upload original hard copy of FRA at para K online Part I and site inspection report of DFO at para 16 online Part II.	FRA की Original hard copy संलग्न है एवं Part 1, Part 2 की प्रति अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1346/FP/UK/OTHERS/27387/2017 दिनांक 22.11.2018 द्वारा जमा की जा चुकी है।

Scanned by CamScanner

07	State Govt. will original hard copy of Part I which is duly signed by competent authority.	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1346/FP/UK/OTHERS/27387/2017 दिनांक 22.11.2018 द्वारा जमा की जा चुकी है।
08	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	स्वीकार है।
09	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	स्वीकार है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	स्वीकार है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	स्वीकार है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	स्वीकार है।
13	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनसम्पत्तियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।	स्वीकार है।
14	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	स्वीकार है।
15	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	स्वीकार है।
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।	स्वीकार है।
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	स्वीकार है।

अतः कृपया वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. FRA की Original hard copy.
2. चालान की फोटो प्रति।

भवदीय

(संदीप कश्यप)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 63 /A-8/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, एन0जी0आर0बी0ए0, 117–इन्दिरानगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।

परियोजना प्रबन्धक

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- **DEHRADUN (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. I.A.S deputy commissioner,. ..Dehradun on dated .26/9/.17 at time ..11:am..at D:Dun in which application claiming rights in Rishikesh area measuring 0.05 hect for the construction of Sewage Pumping Station at Bapu Gram in forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of 20/9/2017 sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...............
Dated:.............
Chairman

Deputy Commissioner-cum-
District Level Committe

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद–देहरादून

पत्रांक दिनांक

वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26-9-17 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून के अन्तर्गत " **आई0 एण्ड डी0 नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0**" का निर्माण प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 0.05 हेक्टेयर वन भूमि बापूग्राम ऋषिकेश में सीवेज पम्पिंग स्टेशन (SPS) का निर्माण ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत वीरभद्र क0सं0–1 में वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं पर विचार–विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–ऋषिकेश की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.05 हेक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के रेंज वीरभद्र क0सं0–1 के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी–ऋषिकेश की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश वनप्रभाग
देहरादून।
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

पृ0सं0 :

प्रतिलिपिः कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश।

जिलाधिकारी देहरादून
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड मुनि की रेती परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.05 हे0 आरक्षित वन भूमि का परियोजना प्रवन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तंहसील ऋषिकेश) की दिनांक 20/09/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हर गिरि, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हर गिरि उपजिलाधिकारी ऋषिकेश अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

2– श्री पी०वी० भारतोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश सदस्य

3– श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला सदस्य / सचिव

4– श्री मती सरोजनी थपलियाल बी0डी0सी0 क्षेत्र ऋषिकेश सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नामामि गंगे के अन्तर्गत बापूग्राम में सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु 0.05 हे0 वन भूमि निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।
उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद - देहरादून, उत्तराखण्ड

सरोजनी थपलियाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य
ऋषिकेश–प्रथम (36)
... डोईवाला (देहरादून)

Scanned by CamScanner

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश/देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत **आई0 एण्ड डी0 नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य वीरभद्र कक्ष सं0–2 के बापूग्राम में एस0पी0एस0** रियोजना के निर्माण हेतु 0.05 हे0 वन भूमि निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
तहसील– ऋषिकेश
जनपद देहरादून

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऋषिकेश
जनपद देहरादून

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

सरोजनी थपलियाल
क्षेत्र पचायत सदस्य
ऋषिकेश–प्रथम (36)
... डोईवाला (देहरादून)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद - देहरादून, उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner

प्रारुप—30.4

दिनांक 01.07.2017 को नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत बापूग्राम ऋषिकेश वीरभद्र कक्ष सं0—2 में प्रस्तावित सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु पेयजल निगम के प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के साथ बैठक की गयी है जैसा कि प्रस्तावित स्थल पर एस0पी0एस0 हेतु निर्माण पर चर्चा की गयी। प्रस्तावित स्थल पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण रम्भा नदी को प्रदूषित होने से रोकने हेतु किया जा रहा है। उक्त निर्माण पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है जिससे ग्राम सभा उक्त चयनित स्थल पर निर्माण हेतु सहमत है।

क्र0सं0	उपस्थित सदस्यों का नाम	पद	हस्ताक्षर
01	दीपक रावत	वार्ड सदस्य	Deepak Rawat
	विशु सिंघल	" "	[signature]
02	अमित कुमार	" "	[signature]
	रीना जायसवाल	" "	Reena Jaiswal
03	कल्पना बिष्ट	" "	कल्पना बिष्ट
	माया घले	" "	माया घले
04	गीता देवी	" "	[signature]
	सरोजनी थपलियाल	क्षेत्र पंचायत	[signature]
05	ममता नेगी	वार्ड सदस्य	ममता नेगी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ऋषिकेश
वि0ख0 डोईवाला जनपद देहरादून

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ऋषिकेश
विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून

Scanned by CamScanner

P19011171728178 – UTR NO –

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 10-01-2019

Agency Name.	UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM
Application No.	19927387745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/41/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction and Manintenance unit Ganga,RishikeshDehradun
Amount(in Rs)	142850/-

Amount In Words :One Lakh Forty-Two Thousand Eight Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150891992738745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 10-01-2019

Agency Name.	UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM
Application No.	19927387745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/41/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction and Manintenance unit Ganga,Rishikesh Dehradun
Amount(in Rs)	142850/-

Amount In Words :One Lakh Forty-Two Thousand Eight Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150891992738745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned by CamScanner

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
निकट– डी0जी0बी0आर0 कैम्प,
आशुतोष नगर, ऋषिकेश

Office of Project Manager Construction &
Maintenance Unit (Ganga),
Uttarakhand Peyjal Nigam
Near- DGBR Camp, Ashutosh Nagar
Rishikesh

Email:- gangarishikesh2017@gmail.com

Letter No. -63 / A-8 / 05 Date 15-01-2019 Through-Email/Post

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून "आई0 एण्ड डी0 नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी का निर्माण कार्य के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रपोजल सं0 FP/UK/OTHERS/27387/2017 की विधिवत् स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:–

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अवगत कराना है कि ऑन लाईन प्रपोजल सं0 FP/UK/OTHERS/27387/2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/09/41/2018 एफ0सी0/1832 दिनांक 30.11.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त पत्र में प्रदान की गई शर्तों के अधीन बिन्दुवार परिपालन आख्या निम्नानुसार हैं:–

क्र0 सं0	शर्तें	निराकरण
01	प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष विद्यमान नहीं है, अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वनप्रभाग द्वारा प्रेषित 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रख–रखाव प्राक्कलन के अनुसार रू0 110000.00 जमा की गई है।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 32850.00 भारत सरकार के खाते में जमा की गई है।
03	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थान पर विभाग द्वारा यथासम्भव् वृक्षारोपण किया जायेगा।
04	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	बढ़ी हुई दरों को इस विभाग द्वारा जमा कर दिया जाएगा।
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	यू0टी0आर0 सं0.–P19011171728178 द्वारा NEFT/RTGS द्वारा Uttaranchal Campa के खाते में जमा की गई।
06	State Govt. will upload original hard copy of FRA at para K online Part I and site inspection report of DFO at para 16 online Part II.	FRA की Original hard copy संलग्न है एवं Part 1, Part 2 की प्रति अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1346/FP/UK/OTHERS/27387/2017 दिनांक 22.11.2018 द्वारा जमा की जा चुकी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
दिनांक 17-1-2019
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Scanned by CamScanner